

लखनऊ में धारा 144 लागू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनज़र लखनऊ में 17 मई, 2024 तक [दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144](#) लागू कर दी है।

मुख्य बटु:

- उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में आयोजत कतुा जाएगा।
- [भारतीय नरुवाचन आयोग](#) द्वारा घोषतु चुनाव कार्यक्रम, राज्य के पश्चमी कषेत्र में गन्ना बेल्ट से शुरू होगा और पूरवांचल में समाप्त होगा जसु अकसर यूपी का चावल का कटोरा कहा जाता है।
 - वोटों की गनतुी 4 जून, 2024 को होने वाली है।

CrPC की धारा 144

- यह कानून भारत में कसुी भी राज्य या केंद्रशासतु प्रदेश के मजसुट्रेट को एक नरुदषुट कषेत्र में चार या अधकल लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश पारतु करने का अधकल देता है।
- यह उन उपद्रव या कसुी घटना के संभावतु खतरे के मामलों में लगाया जाता है जसुमें मानव जीवन को परेशानी या संपत्तु को कषतु पहुँचाने की संभावना होती है।
- यह आदेश कसुी वशुष वुक्तु या आम जनता के खललफ पारतु कतुा जा सकतुा है।
- धारा 144 की वशुषताएँ:
 - यह दतु गए कषेत्राधकलर में कसुी भी प्रकार के हथुयलर रखने या ले जाने पर प्रतुबुंध लगातुा है।
 - इस तरह के कृतुय के लतु अधकलतम दंड तीन वर्ष है।
 - इस धारा के अंतर्गत पारतु आदेश के अनुसार, जनता की आवाजाही नही होगी और सभी शकुषण संसुथान बंद रहेंगे।
 - साथ ही इस आदेश के संचालन की अवर्धा के दौरान कसुी भी प्रकार की जनसभा या रैलतुी करने पर पूरण रोक होती है।
 - कानून प्रवर्तन एजेंसतुी द्वारा कसुी गैर-कानूनी सभा को भंग न करना एक दंडनीय अपराध माना जाता है।
 - यह अधकलरतुी को कषेत्र में इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक करने का अधकलर भी देता है।
 - धारा 144 का अंतुम उद्देशु उन कषेत्रों में शांतु और वुववसुथा बनाए रखना है जहाँ दैनकल गतवधतुी को बाधतु करने से परेशानी हो सकतुी है।